न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 1/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00010)

1. चेतराम
2. रामप्रसाद
3. गोविन्दसहाय
4. बाबूलाल
5. महेशचन्द
6. धनपतराय
7. कैलाश
8. मुरारी
9. रामअवतार
10. नारायण
11. रामखिलाडी

पुत्रान सुवालाल समस्त जाति कोली निवासी कांच की ढाणी पोस्ट उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा। ?

– अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश
2. बाबूलाल
3. बृजमोहन
4. किशनलाल
5. राजपाल

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम पोस्ट उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा।

6. आंवटन सलाहकार समिति तहसील बसवा जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

7. रामप्रताप
8. नरसी
9. मोहनलाल
10. मूलचन्द
11. रमेशचन्द
12. रघुनाथ

पुत्रान रामसहाय जाति माली निवासी कांच की ढाणी पोस्ट उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा कैम्प बांदीकुई निर्णय दिनांक 15.06.2017 प्रार्थना पत्र 14(4) प्रकरण संख्या 10/2010 उनवानी सुवालाल बनाम छुट्टनलाल

उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 6 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –19.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 15.06.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भू–आंवटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा ग्राम कांच की ढाणीय पोस्ट उनबडागांव तहसील बसवा स्थित आराजी भूमि ख.नं. 327/1 रकबा 0.50 हैक्टे. का आंवटन छुट्टनलाल पुत्र प्रभातीलाल, रज्जो पत्नि छुट्टनलाल के हक में दिनांक 15.06.2000 को किया गया। उक्त उक्त आंवटन आदेश को खारिज करवाने के लिए अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश किया गया । प्रकरण में अति. जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 01.12.2005 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई में अपील प्रस्तुत होने पर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2009 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एंव मौके की वास्तविकता के आधार पर नए सिरे से निर्णय पारित करने एवं आवश्यकता हो तो मौकै की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा स्वंय मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 15.06.2017 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण खारिज किया जाकर प्रश्नगत आंवटन आदेश दिनांक 15.06.2000 यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट चेतराम पुत्र सुवालाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनाक 15.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 व नं. 7 से 12 की ओर कोई उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम कांच की ढाणी पोस्ट उनबडागांव स्थित खसरा नम्बर 327/1 रकबा 0.50 हैक्टैयर भूमि सदैव से ही जागीरों गुजारान के कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा अपीलान्टस ने बंजड भूमि को काश्त योग्य बनाकर उक्त भूमि में कब्जा काश्त करता चला आ रहा है और यह भूमि वादग्रस्त अनाधिवासित भूमि नहीं थी किन्तु फिर भी आंवटन सलाहकार समिति ने अपीलान्ट्स की कब्जे काश्त की भूमि को छुट्टनलाल पुत्र प्रभातीलाल, रज्जो पत्नि छुट्टनलाल को अवैध व छल कपट रूप से आंवटन कर दी, आंवटियों को ना तो भूमि का कब्जा संभलाया जा सकता था और ना ही संभलाया गया तथा आंवटन नियमों के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 14(4) को विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा निरस्त कर दिया। विद्वान न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के प्रथम दृष्टान से ही यह स्पष्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हो जाता है कि अपीलान्ट्स के दस्तावेज व पूर्व की मौका रिपोर्ट एवं बाद की वास्तविक मौका रिपोर्ट दिनांक 22.01.2012 को विस्तारित रिपोर्ट एवं नक्शा सहित रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपने कानूनी ज्ञान एवं न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना ही प्रश्नाधीन आदेश पर हस्ताक्षर किये है तथा विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय महोदय समझ ही नहीं पाये। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रेति प्रेषित किया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है। भूमि खसरा सं. 327/1 के अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा सं. 306, 325, 334 से लगती हुई ही अपीलान्ट्स ने बंजड भूमि का काश्त योग्य बनाकर उक्त भूमियों को एक जाही कर उसके चारो ओर खाम डोल लगा रखी है तथा अपने पुख्ता मकानात एवं कुआ बोरिंग आदि बनाकर सम्पूर्ण भूमि को चाही काश्त करते चले आ रहे है किन्तु रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र छुट्टन पुत्र प्रभातीलाल, रज्जो पत्नि छुट्टन ने प्रस्तुत नहीं किया उस प्रार्थना पत्र पर छुट्टन एवं रज्जो के कोई हस्ताक्षर नही है और ना ही अंगूठा निशानी है। उक्त प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी द्वारा बकलम से भरा गया है और आवेदक छुट्टन पुत्र प्रभाती एक के नाम से भरा गया है। हल्का पटवारी ने हल्का रिपोर्ट में अपनी बकलम से दोनों के नाम जोडा गया है। आवेदन पर उक्त खसरा नं. 327/1 की भूमि की कोई मांग नहीं की बाद में कार्यवाही होने पर खसरा नम्बर 357 को काटकर 327/1 बनाये गये । आवेदन में भारी काटाफासी हल्का पटवारी द्वारा की गई थी। आवेदन की सम्पूर्ण कार्यवाही अपूर्ण एवं अपर्याप्त आवेदन पर आंवटन सलाहकार समिति ने छुट्टन पुत्र प्रभाती, रज्जो पत्नि छुट्टन बंजड भूमि को विवादित भूमि का आंवटन सलाहकार समिति ने बिना गौर फरमाये कर दिया जो कतई अवैध कार्यवाही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वैचारिक स्थिति पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त फरमा दिया जो कतई अवैध आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्टस की अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 15.06.2017 तथा आंवटन आदेश दिनांक 15.05.2000 को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये गये जिससे यह साबित होता हो कि आंवटन कमेटी द्वारा आंवटी को प्रश्नगत भूमि का आंवटन अवैध रूप से किया गया है। जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को खारिज किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2017 को यथावत रखे जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई के अपील प्रस्तुत होने पर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2009 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलक्टर दौसा को रिमाण्ड कर प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एंव मौके की वास्तविकता के आधार पर नए सिरे से निर्णय पारित करने एवं आवश्यकता हो तो मौकै की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा स्वंय मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 15.06.2017 में स्वंय मौका देखे जाने तथा स्वंय के पर्यवेक्षण में मौके की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाये जाने संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट दिनांक 22.01.2012 के अनुसार भी अप्रार्थीगण का कोई कब्जा भी नहीं पाया गया है। जिससे जाहिर होता है कि आंवटी का आंवटित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का मुख्य आधार कब्जा काश्त ही नियमानुसार होना अपेक्षित होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जॉच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे :–

1. आया कि आंवटी/अप्रार्थीगण का जब प्रश्नगत भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो खातेदारी अधिकार क्यों तथा किन कारणों से प्रदान किये गये हैं।
2. आया कि क्या उक्तानुसार प्रदत्त खातेदारी अधिकार कब्जा काश्त के अभाव में प्रारम्भ से शून्य है अथवा नहीं बाबत विस्तृत जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। यदि किसी राजकीय कार्मिक की प्रकरण में संलिप्ता/बदनीयती पायी जाये तो संबधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
3. आया कि कब्जा काश्त के आधार पर आंवटन को निरस्त कर भूमि को राजकीय घोषित किया जा सकता है अथवा नही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावे।
4. यदि किसी अन्य का पक्ष का कब्जा पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही संबंध में निर्णय लिया जाकर भूमि को कब्जेराज लिया जावे।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।